

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/184906/BJN/BIJNOR/1463/CFO

दिनांक : 16-01-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **WALIA GLOBAL ACADEMY** पता **190 VILL MANOHAR WALA, NAJIBABAD TO BUNDKI ROAD, NAJIBABAD** तहसील - **NAJIBABAD** प्लॉट एरिया **9310 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **6039.45** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

| ब्लॉक/टावर        | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई     |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| EDUCATIONAL BLOCK | 3                                 | 0                  | 11.79 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **WALIA GLOBAL ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **24-01-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAMAKANT WALIA ramakantwalia77@gmail.com 9837053604** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **24-01-2026** से **23-01-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **WALIA GLOBAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **WALIA GLOBAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** एफएसएसओ द्वारा अपलोड मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो भवन वर्ष 2009 एवं 2014 का निर्मित है जो शासनादेश सं0-18/छ-पु0-8-2022/905-34-201टी0सी0दि0 07-01-2022 में अच्छादित है भवन में एनबीसी व शासनादेश एवं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्थाये कार्यशील दशा में स्थापित पाई गयी विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें तथा फायर उपकरणों का ए0एम0सी0/मरम्मतअर्ह एजेन्सी से करायी जाए। एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**



**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**Rajeev Kumar Pandey**

CE1C216539CD27F8EC5D8E75C5BA91CD8952485C

24-01-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : **24-01-2026**

स्थान : **BIJNOR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.